झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–612 वर्ष 2008

के साथ

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–617 वर्ष 2008

जी0आर0 सं0–1837 वर्ष 2002 में विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 18.02.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश तथा दण्डादेश की अभिपुष्टि करते हुए विद्वान सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा क्रिमिनल अपील सं0–62 वर्ष 2008 में पारित दिनांक 07.07.2008 के निर्णय के विरूद्ध।

1\. उपेंद्र कुमार सिंह, पे0–श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, निवासी–भौरा न्यू क्वार्टर, डाकघर–भौरा, थाना–जोरापोखर, जिला–धनबाद 2. जीतू यादव, पे0–श्री शिव शंकर यादव, निवासी–भौरा न्यू क्वार्टर, डाकघर–भौरा, थाना–जोरापोखर, जिला–धनबाद

.... याचिकाकर्त्तागण

(आपराधिक पुनरीक्षण सं0–612/2008 में)

सुधांशु चौधरी, पे0–राम बालक चौधरी, निवासी–गौरखुटी, भौरा, थाना–जोरापोखर, जिला–धनबाद .... याचिकाकर्त्ता

(आपराधिक पुनरीक्षण सं0–617/2008 में)

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष।

(दोनों ही मामलों में)

याचिकाकर्त्तागण के लिए : श्री राजेश लाला, अधिवक्ता

(आपराधिक पुनरीक्षण सं0–612 / 2008 में)

: कोई नहीं

(आपराधिक पुनरीक्षण सं0–617 / 2008 में)

विपक्षी पक्ष के लिए: श्री तापस रॉय, ए0पी0पी0।

माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–612 वर्ष 2008 में उपस्थित याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश लाला सुने गए। याचिकाकर्त्ता के लिए जुड़े आपराधिक पुनरीक्षण सं0–617 वर्ष 2008 में कोई भी प्रकट नहीं हुआ। श्री तापस रॉय, विद्वान ए0पी0पी0, दोनों मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2. इन आवेदनों को सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा क्रिमिनल अपील सं0–62 वर्ष 2008 में पारित दिनांक 07.07.2008 के फैसले के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा याचिकाकर्त्ताओं को आई0पी0सी0 की धाराएँ 341, 323 और 427 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराने वाला और आई0पी0सी0 की धारा 341 के तहत अपराध के लिए उन्हें एक महीने का सामान्य कारावास भुगतने और आई0पी0सी0 की धाराएँ 323 एवं 427 के तहत अपराधों के लिए प्रत्येक को छः महीने का सामान्य कारावास भुगतने का दण्डादेश देने वाला जी0आर0 संख्या 1837 वर्ष 2002 में पारित दिनांक 18.02.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश को अभिपुष्ट किया गया है।

3. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि 18.07.2002 को लगभग 6 बजे सूचक के चालक ने अपना पंजीकरण सं0 बी0आर0 17 जी0/5178 वाला डम्पर भाऊरा क्षेत्र कार्यालय के सामने लगाया था और भोजन लेने गया था। यह आरोप लगाया गया है कि इस बीच, किसी ने सूचित किया कि 3–4 व्यक्ति डम्पर की विंड स्क्रीन तोड़ रहे थे। चालक घटनास्थल पर पहुँचा और याचिकाकर्त्ताओं और एक जीतू यादव को इस तरह के कृत्य में शामिल देखा। जब ड्राइवर ने विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की गई और जब मुखबिर घटनास्थल पर आया, तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और उसको भगा दिया गया। उपरोक्त आरोपों के आधार पर, जोड़ापोखर (सुदामडीह) थाना काण्ड संख्या 168 वर्ष 2002 संस्थित की गई थी, जिसमें जांच के बाद, आरोप–पत्र दाखिल किया गया था और संज्ञान लेने के बाद, आरोपियों को आई0पी0सी0 की धाराएँ 341, 323, 427, 504 एवं 506 के तहत आरोप का सार समझाया गया था जिसके प्रति उन्होनें दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

विचारण के क्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा 5 गवाहों की जांच की गई।

4. अ0सा0–1 मृत्युंजय महाता ने अभिसाक्ष्य दिया था कि जब वह अपने ट्रैक्टर पर लौट रहा था और घटनास्थल पर पहुंचने पर, उसने कुछ व्यक्तियों को पंजीकरण सं0 बी0आर0 17 जी0/5178 वाले डम्पर को हॉकी और बांस की छड़ी से नुकसान पहुँचाते हुए देखा था। उन्होनें यह अभिसाक्ष्य दिया था कि जब ड्राइवर ने विरोध किया, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जब डम्पर के मालिक आए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनको भगा दिया गया। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि उसने घटना देखा था। अ0सा0–2 संतोष कुमार यादव डम्पर के ड्राइवर हैं, जिन्होनें यह अभिसाक्ष्य दिया था कि घटना की तारीख के दिन, उन्होनें भूरा क्षेत्र में अपना डम्पर खड़ा किया था और अपने घर में भोजन लेने गए थे। उन्होनें आगे कहा कि 2 व्यक्ति आए थे और उन्हें बताया था कि कुछ बदमाश डम्पर की विंड स्क्रीन तोड़ रहे थे। उन्होनें आगे बताया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचे और इस तरह के कृत्य का विरोध किया, तो आरोपियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। उन्होनें यह भी कहा है कि जब वाहन का मालिक आया, तो उसके

साथ मारपीट भी की गई। अ0सा0–3 शंभू कुमार बरनवाल सूचक और डम्पर के मालिक हैं, जिन्होनें घटना का पूरा समर्थन किया है। उन्होनें कहा है कि बदमाशों ने हेडलाइट, मुख्य विंड स्क्रीन, बैक लाइट, लुकिंग ग्लास एवं इंडीकेटर को नुकसान पहुंचाया था। उन्होनें यह भी कहा है कि जब उन्होनें विरोध किया, तो उनको भगा दिया गया। इस गवाह ने लिखित रिपोर्ट को साबित किया है जिसे प्रदर्श–1 के रूप में चिन्हित किया गया है। अ0सा0–4 भोला रजक और अ0सा0–5 सागर साव ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया और अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

5. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में काफी देरी हुई है जिसे ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है। यह भी कहा गया है कि न तो डॉक्टर और न ही जांच अधिकारी की परीक्षण की गई, जिससे बचाव पक्ष पर प्रतिकूलता कारित हुआ है।

6. विद्वान ए0पी0पी0 ने वर्तमान आवेदन का विरोध किया है।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि सजा चश्मदीद गवाहों अर्थात अ0सा0 1, 2 और 3 के साक्ष्य पर आधारित है। तीनों गवाहों ने एक साथ याचिकाकर्त्ता के हॉकी स्टिक और बांस की छड़ से लैस होने के बारे में कहा है, जिन्होनें डम्पर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जांच अधिकारी की परीक्षण नहीं की गई है, लेकिन घटनास्थल भाऊरा क्षेत्र कार्यालय के सामने होने को अच्छी तरह से स्थापित की गई है और चूंकि याचिकाकर्त्ताओं के कृत्य को गवाहों अ0सा0 सं0 1, 2, 3 द्वारा स्पष्ट रूप से समर्थन किया गया है, आई0ओ0 की गैर परीक्षण महत्वहीन है। इसलिए, विद्वान न्यायालय द्वारा याचिकाकर्त्ताओं को आई0पी0सी0 की धाराएँ 341, 323 एवं 427 के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्ध करते हुए उपर उल्लिखित परिस्थितियों पर समुचित रूप से विचार किया गया है। इसे एतद् द्वारा संपोषित किया जाता है।

8. हालांकि, याचिकाकर्त्ताओं पर लगाई गई सजा के संबंध में, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्तागण वर्ष 2002 से अभियोजन मामले की कठोरता का सामना कर रहे हैं। याचिकाकर्त्तागण भी कुछ समय तक हिरासत में रहे हैं। याचिकाकर्त्ताओं के खिलाफ कथित

रूप से अपराध की प्रकृति के साथ पूर्वोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्त्ताओं पर लगाई गई सजा की अवधि को हिरासत में उनके द्वारा पहले से ही भुगत ली गई अवधि तक उपांतरित की जाती है।

9. दण्डादेश में पूर्वोक्त उपांतरण के साथ यह आवेदन खारिज किया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)

झारखण्ड उच्च न्यायालय में

19 जून, 2018